अनुसूचि 14 – फारम सं0 562

(3)

केस का सं0 ओर तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेशपर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

उपायुक्त–सह –जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रॉची
(विधि भाखा)
सी0 सी0 ए0 वाद सं0 116 / 18–19
राज्य
–बनाम–
अनुज कुमार उर्फ सोनु

आदेश

15
25.01.20

वरीय पुलीस अधीक्षक, रॉची ने अपने पत्रांक 760 / डी0सी0बी0 दिनांक 04.05.2018 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी अनूज कुमार उर्फ सोनु पे0 सुरज प्रसाद, सा0 भवनीपूर, थाना डोरण्डा, जिला रॉची के विरूद्ध झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम –2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (a), 3 (1) (b) (1) के तहत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया, जिसका आवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्त्तमान मे (1) कोतवाली थाना काण्ड सं0 272 / 17 दिनांक 05.10.2017, धारा 25 (1–बी) ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट, (2) कोतवाली थाना सनहा सं0 21 / 18 दिनांक 01.04.2018 एवं (3) कोतवाली थाना सनहा सं0 23 / 18 दिनांक 03.04.2018 दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है।

वरीय पुलीस अधीक्षक, रॉची ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अनूज कुमार उर्फ सोनु पे0 सुरज प्रसाद, सा0 भवनीपूर, थाना डोरण्डा, जिला रॉची एक सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके जेल से छुटने के बाद भी इनके अपराधिक क्रिया – कलाप में कोई परिवर्तन नही हुआ है। जिसके आस पास के क्षेत्रो मे शान्ति व्यवस्था पुरी तरह से प्रभावित रह रही है। इनका मुख्य पेशा झपटामार एवं अवैध हथियार रखना एवं अन्य अपराध करना है। ये वर्त्तमान मे न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनके अपराधिक इतिहास के कारण जनता में भय व्याप्त है कि ये फिर से कोई अप्रिय घटना को अजाम न दे दें जिससे लोक–शान्ति की समास्या उत्पन्न न हो जाये। आसूचना संकलन के क्रम में भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके घरों में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आम जनता के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इस प्रकार आम–जनों के बीच इनका भय कम करने एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए इन पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। इसके लिए इनको

केस का सं0 ओर तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

प्रत्येक दिन थाना पर हाजिरी करा कर निगरानी रखना अति आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम –2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (A), 3 (1) (B) (1) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।

विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी को मात्र दो काण्ड मे अभियुक्त बनाया गया है तथा दोनों हीं काण्ड मे वे जमानत पर मुक्त है। विपक्षी एक अभ्यस्त अपराधी नही है। एवं उनका कोइ अपराधिक इतिहास नहीं है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होकर बतलाया कि वे कानुन की पढाई कर रहे हैं और वे लगातार न्यायालय में अधिवक्ता के अधिनस्थ काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बतलया कि उन्हें गलग लोंगों के साथ रहने के कारण मेंरा भी नाम थाना के द्वारा डाल दिया गया था। भविष्य में किसी प्रकार की गलती नहीं करूंगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपराधकर्मी को अच्छे व्यवहार बनाये रहने का 5000/–(पाँच हजार) रूपये का बंध पत्र वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के समक्ष जमा करने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7(2)(b) के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को प्रेषित करें।

जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
राँची।

order communicated to S.S.P Ranchi vide Memo no 15-4(ii) dt 29.01.20

29.1.20

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.09 23:45:44 -08:00
Location: 192.168.1.4